

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन 1941 (श0) (सं0 पटना 1083) पटना, सोमवार, 23 सितम्बर 2019

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना 23 सितम्बर 2019

सं0 बी1-3-130/2019—**67**—बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2019 के अवसर पर 54-किशनगंज, 76-सिमरी बिख्तियारपुर, 109-दरौंदा, 158-नाथनगर एवं 163-बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-100/पूर्व अनु0-1/बिहार-वि.स./8/2019 दिनांक 23.09.2019, अधिसूचना संख्या-100/पूर्व अनु0-1/बिहार-वि.स./10/2019 दिनांक 23.09.2019, अधिसूचना संख्या-100/पूर्व अनु0-1/बिहार-वि.स./10/2019 दिनांक 23.09.2019 दिनांक 23.09.2019 एवं अधिसूचना संख्या-100/पूर्व अनु0-1/बिहार-वि.स./11/2019 दिनांक 23.09.2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकृशित की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीख:- 23 सितम्बर, 2019 / 1 आश्विन, 1941 (शक)

100/पूर्व अनु0-1/बिहार-वि.स./8/2019 :- यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 54-किशनगंज विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित डा0 मुहम्मद जावेद द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 30 मई, 2019 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः—
 - (अ) बिहार राज्य से उक्त **54-किशनगंज** विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार **27 अक्तूबर, 2019 (रविवार)** से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करे;
 - (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:--

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 30 सितम्बर, 2019 (सोमवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख: 01 अक्तूबर, 2019 (मंगलवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 3 अक्तूबर, 2019 (बृहस्पतिवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो

मतदान होगा : 21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार)

- (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा : 27 अक्तूबर, 2019 (रविवार) नियत करता है; और
- (इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 23rd September, 2019, 1 Asvina, 1941 (Saka)

No.100/ES-1/BR-LA/8/2019:- WHEREAS, the seat of **Dr. Mohammad Jawaid**, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from **54-Kishanganj** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **30**th **May, 2019** by reason of his resignation., and;

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;
- 3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of Section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
 - (A) calls upon the said **54-Kishanganj** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 27th October, 2019 (Sunday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; and
 - (B) Appoints, with respect to the said election:-
 - (a) the 30th September, 2019 (Monday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 1st October, 2019 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 3rd October, 2019 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 21st October, 2019 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary,

be taken; and

- (e) the 27th October, 2019 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M to 5.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीख:- 23 सितम्बर, 2019 / 1 आश्विन, 1941 (शक)

100/पूर्व अनु0-1/बिहार-वि.स./10/2019 :- यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 76-सिमरी बिख्तयारपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री दिनेश चन्द्र यादव द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 29 मई, 2019 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः—
 - (अ) बिहार राज्य से उक्त **76—सिमरी बिख्तयारपुर** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार **27 अक्तूबर, 2019 (रिववार)** से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करे;
 - (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:--

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः

30 सितम्बर, 2019 (सोमवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः

01 अक्तूबर, 2019 (मंगलवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः

3 अक्तूबर, 2019 (बृहस्पतिवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो

मतदान होगाः

21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार)

- (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 27 अक्तूबर, 2019 (रविवार) नियत करता है; और
- (इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 23rd September, 2019, 1 Asvina, 1941 (Saka)

No.100/ES-1/BR-LA/10/2019:- WHEREAS, the seat of **Sh Dinesh Chandra Yadav**, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from **76-Simri bakhtiarpur** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **29th May**, **2019** by reason of his resignation., and;

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;
- 3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of Section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
 - (A) calls upon the said **76-Simri bakhtiarpur** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 27th October, 2019 (Sunday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; and
 - (B) Appoints, with respect to the said election:-
 - (a) the 30th September, 2019 (Monday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 1st October, 2019 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 3rd October, 2019 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 21st October, 2019 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary,

be taken; and

- (e) the 27th October, 2019 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M to 4.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीख:- 23 सितम्बर, 2019/ 1 आश्विन, 1941 (शक)

100/पूर्व अनु0-1/बिहार-वि.स./9/2019 :- यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 109-दरौँदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्रीमती कविता सिंह द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 4 जून, 2019 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः—
 - (अ) बिहार राज्य से उक्त 109—दरौँदा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 27 अक्तूबर, 2019 (रिववार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करे;
 - (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-
 - (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः 30 सितम्बर, 2019 (सोमवार)
 - (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः 01 अक्तूबर, 2019 (मंगलवार)
 - (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः 3 अक्तूबर, 2019 (बृहस्पतिवार)
 - (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो

मतदान होगाः

21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार)

- (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 27 अक्तूबर, 2019 (रविवार) नियत करता है; और
- (इ) 7.00 बजे पूर्वाहन से 5.00 बजे अपराहन तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 23rd September, 2019, 1 Asvina, 1941 (Saka)

No.100/ES-1/BR-LA/9/2019:- WHEREAS, the seat of **Smt. Kavita Singh**, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from **109-Daraunda** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **04**th **June**, **2019** by reason of his resignation., and;

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;
- 3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of Section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
 - (A) calls upon the said **109-Daraunda** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 27th October, 2019 (Sunday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; and
 - (B) Appoints, with respect to the said election:-
 - (a) the 30th September, 2019 (Monday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 1st October, 2019 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 3rd October, 2019 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 21st October, 2019 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary,

be taken; and

- (e) the 27th October, 2019 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M to 5.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीख:- 23 सितम्बर, 2019 / 1 आश्विन, 1941 (शक)

100/पूर्व अनु0–1/बिहार-वि.स./12/2019 :- यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 158-नाथनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री अजय कुमार मंडल द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 3 जून, 2019 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः—
 - (अ) बिहार राज्य से उक्त 158—नाथनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 27 अक्तूबर, 2019 (रिववार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करे;
 - (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:--
 - (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः

30 सितम्बर, 2019 (सोमवार)

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः

01 अक्तूबर, 2019 (मंगलवार)

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः

3 अक्तूबर, 2019 (बृहस्पतिवार)

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो

मतदान होगाः

21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार)

- (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 27 अक्तूबर, 2019 (रविवार) नियत करता है; और
- (इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 23rd September, 2019, 1 Asvina, 1941 (Saka)

No.100/ES-1/BR-LA/12/2019:- WHEREAS, the seat of **Sh Ajay Kumar Mandal**, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from **158-Nathnagar** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **03rd June**, **2019** by reason of his resignation., and;

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;
- 3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of Section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
 - (A) calls upon the said **158-Nathnagar** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 27th October, 2019 (Sunday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; and
 - (B) Appoints, with respect to the said election:-
 - (a) the 30th September, 2019 (Monday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 1st October, 2019 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 3rd October, 2019 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 21st October, 2019 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary,

be taken; and

- (e) the 27th October, 2019 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M to 5.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

अधिसूचना

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001, तारीख:- 23 सितम्बर, 2019 / 1 आश्विन, 1941 (शक)

100/पूर्व अनु0-1/बिहार-वि.स./11/2019 :- यतः बिहार राज्य की विधान सभा में 163-बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित श्री गिरिधारी यादव द्वारा त्याग पत्र दिये जाने के परिणामस्वरूप दिनांक 29 मई, 2019 से उनका स्थान रिक्त हो गया है; और

- 2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है;
- 3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150 की उपधारा (1) और धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वाराः—
 - (अ) बिहार राज्य से उक्त 163—बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्धीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार 27 अक्तूबर, 2019 (रविवार) से पूर्व राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करे;
 - (आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:--
 - (क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीखः 30 सितम्बर, 2019 (सोमवार)
 - (ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीखः 01 अक्तूबर, 2019 (मंगलवार)
 - (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीखः 3 अक्तूबर, 2019 (बृहस्पतिवार)
 - (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो

मतदान होगाः

21 अक्तूबर, 2019 (सोमवार)

- (ड.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगाः 27 अक्तूबर, 2019 (रविवार) नियत करता है; और
- (इ) 7.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

NOTIFICATION

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001, Dated 23rd September, 2019, 1 Asvina, 1941 (Saka)

No.100/ES-1/BR-LA/11/2019:- WHEREAS, the seat of **Sh Giridhari Yadav**, in the Legislative Assembly of the State of Bihar, elected from **163-Belhar** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **29th May**, **2019** by reason of his resignation., and;

- 2. WHEREAS, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;
- 3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sub-section(1) of Section 150 and sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-
 - (A) calls upon the said **158-Nathnagar** Assembly Constituency in the State of Bihar, to elect, before the 27th October, 2019 (Sunday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State; and
 - (B) Appoints, with respect to the said election:-
 - (a) the 30th September, 2019 (Monday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 1st October, 2019 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 3rd October, 2019 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 21st October, 2019 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary,

be taken; and

- (e) the 27^{th} October, 2019 (Sunday), as the date before which the election shall be completed; and
- (C) Fixes the hours from 7.00 A.M to 4.00 P.M as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order, A.K.PATHAK, SECRETARY.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 1083-571+50 -डी0टी0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in